



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042026-271669  
CG-DL-E-09042026-271669

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1734]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2026/चैत्र 18, 1948

No. 1734]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2026/CHAITRA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2026

का.आ. 1802(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 88) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य केठाणे जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 61 के कि.मी. 37/850 से कि.मी. 57/900 (कल्याण - आंध्र प्रदेश सीमा खंड) तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ाकरण, पेव्ड शोल्डर सहित दो/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तथा उपविभागीय अधिकारी कल्याण को लिखित रूप में किया जायगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी

द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपो की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या ६१ के कि.मी. ३७/८५० से कि.मी. ५७/९०० (कल्याण – आंध्र प्रदेश सीमा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: ठाणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मुरबाड					
गांव का नाम: नारायणगाव					
1	138	निजी	कृषी	0.0096 (हेक्टेयर)	0.0096
2	139	निजी	कृषी	0.098 (हेक्टेयर)	0.098
3	192	निजी	कृषी	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
4	193	निजी	कृषी	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
5	196	निजी	कृषी	0.021 (हेक्टेयर)	0.021
6	234	निजी	कृषी	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
7	235	निजी	कृषी	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
8	236	निजी	कृषी	0.0175 (हेक्टेयर)	0.0175
9	40	निजी	कृषी	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
10	41	निजी	कृषी	0.0147 (हेक्टेयर)	0.0147
11	48	निजी	कृषी	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
12	49	निजी	कृषी	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
13	50	निजी	कृषी	0.029 (हेक्टेयर)	0.029
14	51	निजी	कृषी	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
15	61	निजी	कृषी	0.0625 (हेक्टेयर)	0.0625
<b>Total</b>					<b>0.3428</b>

[फा. सं. RO/NH-12014/56/2024-MAH/ZONE-IV/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th April, 2026

**S.O. 1802(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for **Building (widening/Two lane with paved shoulder/four laning, etc) maintenance, management and operation of National Highway No.61 in the stretch of land from Km 37/850 to Km 57/900 (Kalyan -Andhra Pradesh Border Section) in the district of Thane in the state of Maharashtra**

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Sub Divisonal Officer Kalyan**, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling National Highway No.61 within the stretch of the land from Km 37/850 to Km 57/900 (Kalyan- Andhra Pradesh Border Section) in the district of Thane in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: THANE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Murbad</b>					
<b>Village: Narayangaon</b>					
1	138	Private	Agriculture	0.0096 (Hectare )	0.0096
2	139	Private	Agriculture	0.098 (Hectare )	0.098
3	192	Private	Agriculture	0.003 (Hectare )	0.003
4	193	Private	Agriculture	0.003 (Hectare )	0.003
5	196	Private	Agriculture	0.021 (Hectare )	0.021
6	234	Private	Agriculture	0.03 (Hectare )	0.03
7	235	Private	Agriculture	0.009 (Hectare )	0.009
8	236	Private	Agriculture	0.0175 (Hectare )	0.0175
9	40	Private	Agriculture	0.0075 (Hectare )	0.0075
10	41	Private	Agriculture	0.0147 (Hectare )	0.0147
11	48	Private	Agriculture	0.03 (Hectare )	0.03

12	49	Private	Agriculture	0.003 (Hectare )	0.003
13	50	Private	Agriculture	0.029 (Hectare )	0.029
14	51	Private	Agriculture	0.005 (Hectare )	0.005
15	61	Private	Agriculture	0.0625 (Hectare )	0.0625
<b>Total</b>					<b>0.3428</b>

[F. No. RO/NH-12014/56/2024-MAH/ZONE-IV/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director